

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 मई 2026 — वैशाख 22, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 मई 2026

अधिसूचना
सं. 01 / 2026— राज्य कर

F.N. RULE/420/2026-COMTAX SECTION (24).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जो छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के साथ पठित, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध हैं, मार्च, 2026 माह के लिए प्ररूप GSTR-3B में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर अप्रैल, 2026 का इक्कीसवाँ दिन करता है।

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2026 के दिन से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 मई 2026

F.N. RULE/420/2026-COMTAX SECTION (24).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/420/2026-COMTAX SECTION (24) दिनांक 11-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th May 2026

NOTIFICATION
No. 01/2026-State Tax

F.N. RULE/420/2026-COMTAX SECTION (24).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the GST Council, hereby extends the due date for furnishing the return in FORM GSTR-3B for the month of March, 2026 till the twenty-first day of April, 2026, for the registered persons who are required to furnish return under sub-section (1) of section 39 read with clause (i) of sub-rule (1) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017.

2. This notification shall come into effect from 20th day of April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.